

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001


सं. 76/वर्चुअल केंपेन/ईईपीएस/2022/2900

दिनांक: 15 जनवरी, 2022

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

दिल्ली



विषय: अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फॉर्मेट-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

5589/CEO  
14/02/2022

मुझे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण के अंतिम बार संशोधित किए गए फॉर्मेट के संबंध में आयोग के पत्र सं. 76/ईसीआई/अनु./ईईएम/ईईपीएस/2019/खंड XVII, दिनांक 8 मई, 2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों में अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा वर्चुअल प्रचार की बढ़ रही प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय का सार विवरण और राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय के विवरण के फॉर्मेट को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

2. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने निर्वाचन व्यय का सार विवरण और अभ्यर्थियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अनुरक्षित किए जाने हेतु अपेक्षित अपना दैनंदिनी खाता रजिस्टर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अंतर्गत निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संक्षिप्त विवरण के मौजूदा फॉर्मेट को भाग-II में अनुसूची II और पंक्ति VIII में वर्चुअल प्रचार अभियान में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय के सार विवरण का संशोधित फॉर्मेट संलग्न है।

3. राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षित है कि वे विधान सभा/लोक सभा निर्वाचनों के पूर्ण होने के क्रमशः 75 दिन/90 दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) को अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय के सार विवरण के मौजूदा फॉर्मेट को अनुसूची 24क और 24ख, पंक्ति 5.4 (vii), पंक्ति 6.4 (vii) और पंक्ति 7छ (III) में वर्चुअल प्रचार अभियान में राजनैतिक दलों द्वारा किए गए व्यय को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय के विवरण का संशोधित फॉर्मेट संलग्न है।

4. आपसे अनुरोध है कि आप इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को दें और उन्हें केवल संशोधित फॉर्मेट में ही अपने निर्वाचन व्यय दायर करने के लिए प्रेरित करें। इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों की जानकारी में भी लाया जाए।

5. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की एक प्रति, आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय  
अनूप कुमार खाखलारी  
(अनूप कुमार खाखलारी)  
अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल। (विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा)
2. एसजी, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ प्रधान सचिव, निदेशकों, प्रधान सचिव, सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक।
3. सीईएमएस-I, II, III, IV और पीपीईएमएस।

अनूप कुमार खाखलारी  
(अनूप कुमार खाखलारी)  
अवर सचिव

भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण		
I	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारणनिर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	
V	परिणाम घोषित करने की तारीख	
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हां/नहीं

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
नाम

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण					
क्र.सं	विवरण	अभ्यर्थी/उसकेनिर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रूपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	कुल निर्वाचन व्यय(स्तम्भ (3), (4) एवं (5) का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I. क: जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनैतिक दल के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें)				
	I ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात : साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची 2 के अनुसार संलग्न करें)				
II	क्रम संख्या-1 में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III	(क) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथाइलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)				

	(ख) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4क के अनुसार संलग्न करें)				
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)				
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)				
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय				
VII	आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन पर उपगत व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न)				
VIII	VIII वर्चुअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार संलग्न करें)				
	कुल योग				

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार		
क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	
II	पार्टी(पार्टियों) से नकदी या चेक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदा इत्यादिके रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	
	कुल	

**भाग-IV**  
**शपथ-पत्र का प्ररूप**

जिला निर्वाचन अधिकारी.....(जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के समक्ष

श्री/श्रीमती/सुश्री.....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री..... का शपथ पत्र

में,.....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री ..... आयु..... वर्षनिवासी.....  
एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ :-

- (1) यह कि मैं,.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से .....की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला/वाली अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम ..... को घोषित किया गया था।
- (2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक ..... ( वह तारीख, जब मुझे नामांकित किया गयाथा) एवं उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।
- (3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित अनुसमर्थक वाउचर/ बिल के साथ संलग्न है।
- (4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य एसोशिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्यव्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।
- (5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के अनुसंग्रह-1। में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य एसोशिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।
- (6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 202 ..... के इस.....दिन में.....द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

## पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटनिंग अधिकारी,

.....  
.....  
.....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्यय के लेखा के रख-रखाव के लिए आपके पत्र सं.....दिनांक....., जिसके साथ उसके संलग्नकों, जिसमें अन्य दस्तावेजों के सहित क्रम सं.....वाला रजिस्टर है,.....की पावती देता हूँ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव और उस लेखे की सत्य प्रति निर्वाचनअधिकारी/रिटनिंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधिगत अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

\*जो लागू न हों, उसे काट दें।

पावती (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

.....(निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो ..... (तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों का लेखा..... (तिथि) को उनकी ओर से या उनके द्वारा दाखिल किया गया था, मैंने आज ..... वर्ष के.....महीने) के ..... दिनांक को प्राप्त कर लिया है।

जिला.....  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय मुहर

**अनुसूचियां-1 से 11: निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण**

अनुसूची-1					
जनसभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात् राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ किए गए व्यय के अलावा) में व्यय					
क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	कुल धनराशि, रुपये में	व्यय के स्रोत		
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा उपगत/अधि कृत राशि	राजनैतिक दलों के नामसहित उपगतराशि	अन्यों के द्वारा उपगत राशि
1	2	3	4	5	6
1	आगंतुकों को लाने, ले-जाने के लिए वाहन				
2	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि तैयार करना				
3	तोरण एवं बैरिकेड आदि				
4	फूल/माला				
5	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्प्लिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना				
6	पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलैट, बैनर, कटआउट, होरडिंग				
7	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक जूस आदि				
8	डिजिटल टी वी- बोर्ड डिसप्ले, प्रोजेक्टर डिसप्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिसप्ले				
9	गण्यमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतजों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि				
10	प्रकाश की मदद जैसे पंक्तिबद्ध लाइट, बोर्ड आदि				
11	परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/एयरक्राफ्ट/वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य प्रचारक के लिए)				
12	विद्युत खपत/जनरेटर प्रभार				
13	स्थल के लिए किराया				
14	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार				
15	स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित किसी अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय				
16	अन्य व्यय				
	कुल				

**अनुसूची-2**

स्टार प्रचारक (कों) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी के लिए यथा प्रभावित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं)

क्रम सं.	दिनांक एवं स्थान	स्टार प्रचारक (कों) के नाम एवं दल का नाम	स्टार प्रचारक (कों) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी के लिए यथा प्रभावित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं) की राशि रुपये में			टिप्पणी यदि कोई हो
			व्यय का स्रोत			
1	2	3	अभ्यर्थी /एजेंट के द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	5
2						
3						
4						
कुल						





	प्रकार	रखाव की दर	के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।)	के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।)	उनकी संख्या		द्वारा व्यय	द्वारा व्यय	व्यय
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
कुल									

**अनुसूची-6**

मतदान पर्ची के वितरण हेतु मतदान केन्द्रों से बाहर अभ्यर्थी के बूथों (किऑस्क) पर और प्रचार कार्यकर्ता/अभिकर्ताओं पर होने वाले व्यय के व्योरे:

क्रम सं.	तारीख और स्थल	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय			उपगत /प्राधिकृत कुल राशि (रु. में)	व्यय के स्रोत		
		व्यय की प्रकृति	दर	कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं की संख्या/किऑस्क की संख्या		अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	अन्य द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7
1		मतदाता पर्ची के वितरण हेतु स्थापित किए गए अभ्यर्थी बूथ (किऑस्क)						
2		प्रचार कार्यकर्ताओं को मानदेय/वेतन इत्यादि						
3		भोजन व्यवस्था						
4		आवास व्यवस्था						
5		अन्य						
कुल								

**अनुसूची-7**

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
कुल					

**अनुसूची-8**

पार्टी (थों) से नकद या चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण

क्र. सं.	राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक सं. आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची-9							
किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ/व्यक्तियों के निकाय इत्यादि से कर्ज, उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त एकमुश्त धन राशि का विवरण							
क्र. सं.	नाम एवं पता	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट / चेक सं. आदि	यदि कर्ज उपहार या दान आदि का विवरण	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

#### अनुसूची-10

समाचार पत्र और टी वी चैनल में आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपगत व्यय का विवरण							
क्र. सं.	समाचार पत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख	उपगत संभावित व्यय (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/दृशने प्रसारण की तारीख एवं समय	उपगत संभावित व्यय (रु. में)	8
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

#### अनुसूची-11

वर्चुअल प्रचार-अभियान पर होने वाले निर्वाचन व्यय का ब्यौरा							
क्र. सं.	वर्चुअल प्रचार-अभियान का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्म/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)	विषय-वस्तु तैयार करने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया का नाम	कुल धनराशि (रु. में)	व्यय का जोड़		
					अभ्यर्थी/रजेंट द्वारा धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा धनराशि	अन्य द्वारा धनराशि

#### ध्यान दें

1. अनुसूची 5 में :-

- (क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।
- (ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा, या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।
3. भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यों से प्राप्त निधि या अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथि-वार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।
4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

**लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचनों में राजनैतिक दल के निर्वाचन व्यय का विवरण**  
(निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक)

1. राजनैतिक दल का नाम:.....
2. लोकसभा/राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन.....  
(विधान सभा के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख करें तथा जो संगत ना हो उसे काट दें)
3. निर्वाचन की घोषणा की तिथि.....
4. निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि.....

**भाग-क**

5. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि
5.1	क. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल की निधियों का अथ-शेष' (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को)	राशि
	विवरण	
	(i) रोकड़ शेष	राशि
	(ii) बैंक शेष	
	(कृपया बैंक तथा शाखा का नाम दर्शाएँ)	
	कुल	
5.2	ख. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों के सभी स्त्रों से सकल प्राप्तियां	राशि
	विवरण	
	(i) नकद	धनराशि
	(ii) बैंक अथवा ड्राफ्ट इत्यादि	
	(iii) वस्तुगत रूप में (किसी व्यक्ति/संस्था से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी व्यक्ति/संस्था से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे-हैलीकॉप्टर सेवाएँ इत्यादि का विवरण तथा कल्पित मूल्य का उल्लेख करें)	
	कुल	
5.3	क. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय (यदि एक से अधिक राज्य शामिल हों, तो दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत राज्यवार एकल व्ययों को अनुसूची-1 में दिया जाए)	राशि
	दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सकल व्यय का विवरण	
	(i) नकद	राशि
	(ii) बैंक/ड्राफ्ट इत्यादि	
	(iii) प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तिथि को बकाया रह जाना	
	कुल	
	ख. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत/प्राधिकृत उपरोक्त सामान्य दल प्रचार व्यय का विवरण	राशि
	(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रचारकों का यात्रा व्यय (अनुसूची-2 में दिए गए फार्मेट में विवरणों को संलग्न किया जाए)	
	(ii) स्टार प्रचारकों के अलावा अन्य नेताओं का यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-2क में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) सामान्य दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टी.वी. चैनल इत्यादि) पर व्यय	
	(iv) सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजों, स्टिकरों, आर्चों, गेटों, कट-आउट, होर्डिंग, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-4 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) सामान्य दल प्रचार के लिए जनसभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-5 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	सामान्य पार्टी प्रचार पर कुल व्यय	
5.4	क. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लिए उपगत/प्राधिकृत सकल व्यय	
	(i) दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दल के अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों अथवा अन्य अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या तो नकद अथवा अन्य माध्यमों जैसे-चेक/डीडी/पी.ओ./आरटीजीएरा/फंड ट्रान्सफर इत्यादि के द्वारा कुल एकमुश्त राशि का भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-7 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	

	(ii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) विशेष के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि पर अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के निर्वाचन व्यय के रूप में आरोप्य कुल व्यय। (विवरणों को अनुसूची 8 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iii) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा /अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-9 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iv) स्टार प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) सहित अन्य नेताओं की रैली में जनसभाओं/जलूसों इत्यादि (बैंरीकेडों/ ऑडियो इत्यादि/श्रोताओं/समर्थकों के लिए भाड़े लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अलावा) (विवरणों को अनुसूची-10 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(v) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-11 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(vi) दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर उपगत व्यय (विवरण अनुसूची-23क में दिए गए फार्मेट में संलग्न किए जाएं)*		
	(vii) दल के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार-अभियान पर व्यय (विवरण अनुसूची 24क में दिए गए फार्मेट में संलग्न किया जाए)		
		अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय	
5.5	निर्वाचन व्यय के लिए दल (जिले एवं स्थानीय निकायों सहित) की राज्य इकाई (इकाईयों) अथवा अन्य दल को दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दी गई कुल एक मुश्त राशि (कृपया राज्यवार राशि दर्शाये)। यदि राजनैतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करता है, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख किया जाए।		
	दल की राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है/अन्य राजनैतिक दल (यदि कोई हो)	भुगतान की तारीख (खं)	नकद चेक/ डीडी इत्यादि की संख्या
	1.		
	2.		
	3. इत्यादि		कुल
5.6	क. निर्वाचन सम्पन्न होने पर दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल की निधियों का अंतः शेष (क्लोजिंग बैलेंस)		धनराशि
	विवरण		धनराशि
	(i) रोकड़ शेष		
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)		कुल

#### भाग-ख

6. राज्य के लिए सभी जिला स्तर तथा स्थानीय निकायों सहित राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा अथवा राज्यीय दल के मुख्यालय द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण
- I. यदि राजनैतिक दल एक या एक से अधिक राज्य में निर्वाचन व्ययों को उपगत/ प्राधिकृत करता है, तो प्रत्येक राज्य का ब्यौरा इस प्रोफार्मा के अनुसार अलग शीट में दिया जाए,
- II. राज्य के भीतर मुख्यालयों वाले राज्यीय राजनैतिक दल इस प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.1	क. राज्य इकाई (जिले स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) की अथ शेष राशि (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को) विवरण	राशि
	विवरण	राशि
	(i) रोकड़ शेष	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)	कुल
6.2	क. राज्य इकाई द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सभी स्रोतों से सकल प्राप्तियाँ (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित)	राशि
	विवरण	
	(i) नकद	
	(ii) चेक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) वस्तुगत रूप में (किसी भी व्यक्ति/संस्था से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवासेवाएँ)	

	(कृपया किसी भी व्यक्ति /संस्था से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे हैलीकॉप्टर सेवाएँ आदि के कल्पित मूल्य का उल्लेख करें)		
6.3	क. सामान्य दल प्रचार (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक) के लिए राज्य इकाई (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों)द्वारा उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय।	कुल	
	राज्य इकाई द्वारा सकल व्यय का विवरण		
	(i) नकद		राशि
	(ii) बैंक अथवा ड्राफ्ट आदि		
	(iii) व्यय प्राधिकृत, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि पर बकाया रह जाना		
		कुल	
	ख. राज्य इकाई (जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा उपगत सामान्य दल प्रचार के लिए व्यय का विवरण		
	(i) राज्य इकाई द्वारा उपगत स्टार प्रचारकों पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-12 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-13 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iii) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-14 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iv) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैज, स्टीकरों, आर्चेज, गेट, कट-आउट, होर्डिंग्स, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-15 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(v) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए जन सभाओं / जलूसों / रैलीइत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-16 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(vi) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय। (विवरणों को अनुसूची-17 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)		
		कुल	
6.4	क. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) को आरोप्य जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए राज्य इकाई द्वारा उपगत या प्राधिकृत सकल व्यय	कुल	
	(i) राज्य इकाई द्वारा दल के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को नकदी या अन्य माध्यमों, यथा- चेक/डीडी/पीओ/आरटीजीएस/फंड ट्रान्सफर इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-18 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनलइत्यादि) पर कुल व्यय। (विवरणों को अनुसूची-19 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, कट-आउटों, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-20 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(iv) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ स्टार प्रचारकों की रैली में बैरीकेडों/ ऑडियोआदि/दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों पर राज्य इकाई द्वारा कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) (विवरणों को अनुसूची-21 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(v) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-22 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)		
	(vi) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (यों) की आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर उपगत व्यय (विवरण अनुसूची-23 में दिए गए फार्मेट में संलग्न किए जाएँ)।		
	(vii) राज्य इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार-अभियान पर व्यय (विवरण अनुसूची 24 में दिए गए फार्मेट में संलग्न किया जाए)		
		अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय	
6.5	दल की राज्य इकाई (जिले तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए दूसरे दल (दलों) को दी गई कुल एक मुश्त राशि। यदि राजनैतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करते हैं, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख करना है।		राशि
	दल की राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है/अन्य, राजनैतिक दल (यदि कोई हों) का नाम	भुगतान की तिथि (तिथियाँ)	धनराशि
	1.		
	2.		
	3. इत्यादि		

		कुल	
6.6	निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात दल की राज्य इकाई (जिले एवं स्थानीय इकाईयों सहित) का अंतः शेष		राशि
	विवरण		राशि
	(i) रोकड़ शेष		
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)		
		कुल	

भाग-ग

7. भाग-क तथा ख में सारणियों में यथोल्लिखित, सभी प्राप्तिर्यो तथा निर्वाचन के दौरान (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक) राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का सार

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तिथि (तिथियां)	
ग	निर्वाचन: (राज्य तथा विधान सभा /लोक सभा /निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें)	
घ	अथ शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/ जिला/स्थानीय स्तर के इकाइयों सहित सभी के लिए) विवरण	
	(i) रोकड़ शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (i)+6.1 क (i))	राशि
	(ii) बैंक में नकद (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (ii)+ 6.1क (iii))	
ङ	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सकल प्राप्तिर्यो (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों) विवरण	
	(i) नकद (सभी राज्यों का 5.2क (i) + 6.2 क (i))	राशि
	(ii) चेक अथवा ड्राफ्ट (सभी राज्यों का 5.2क (ii) + 6.2 क (iii))	
	(iii) वस्तुगत (अथवा मानार्थ प्राप्तिर्यो) (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.2क(iii) + 6.2 क (iii))	
	(iv) कुल प्राप्ति (प्राप्तिर्यो)	
च	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) सामान्य दलप्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय । विवरण	
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (i) +6.3 क(i))	राशि
	II. चेक अथवा ड्राफ्ट (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (ii) + 6.3 क (ii))	
	III. प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि को बकाया रह जाना (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (iii) +6.3 क (iii))	
	IV सामान्य दल प्रचार पर कुल व्यय	
छ	राजनैतिक दल द्वारा सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय(केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) विवरण	
	I. नकद अथवा चेक /डीडी आदि द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भुगतान {5.4क (i) + 6.4 क(i)}	राशि
	II. वस्तुगत रूप में- क. मीडिया को किए गए भुगतान (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (ii) +6.4 क(ii))	
	ख. प्रचार सामग्री (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iii) + 6.4 क(iii))	
	ग. जन सभाएँ, जलूस आदि (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iv) + 6.4क (iv))	
	घ. कोई अन्य व्यय (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क(v) + 6.4क(v))	
	ङ. आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रसार-प्रचार (सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों के 5.4क (vi) +6.4क(vi))*	
	III. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्युअल प्रचार-अभियान पर व्यय [निर्वाचन वाले सभी संबंधित राज्यों का 5.4.क(vii)+6.4.क.(vii)]	
	IV अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का कुल व्यय	
	ज	सामान्य दल प्रचार के लिए तथा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए सकल व्यय (इस सारणी के ऊपर के च(iv) + छ(iv) का कुल जोड़)
झ	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) विवरण	
	क. रोकड़ शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(i) + 6.6क(i))	राशि
	ख. बैंक शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(ii) + 6.6क (ii))	
	ग. कुल अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस)	

भाग-घ

सत्यापन

में, श्री/श्रीमती.....एतद्वारा सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूँ कि निर्वाचन व्यय (भाग क, ख, ग) की विवरणी में यथादर्शित निर्वाचन व्यय के लेखों में लोकसभा/.....राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दल (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों/राज्य इकाई (जिला स्तर तथा स्थानीय इकाईयों सहित)) द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें शामिल हैं तथा उनमें से कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है; तथा

निर्वाचन व्यय की उक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही लेखा हैं तथा किसीभी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक

प्रति हस्ताक्षरित

लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित

कोषाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव  
के हस्ताक्षर

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

\*जो लागू न हो, उसे काट दें।



पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा व्यय

अनुसूची-1					
निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति की तारीख तक साधारण पार्टी प्रचार के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत राज्य-वार सकल व्यय का ब्यौरा					
क्रम सं.	राज्य का नाम	नकद	चेक इत्यादि	अधिकृत व्यय, परंतु जो निर्वाचन की समाप्ति की तारीख को बकाया रह गया	कुल
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची-2						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (कों) का यात्रा व्यय						
क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलों में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
						कुल

अनुसूची-2क						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले वाले व्यय सहित) अन्य नेता(ओं) के यात्रा व्यय						
क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलों में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
						कुल

अनुसूची -3					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के सामान्य प्रचार-अभियान (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, ब्लक एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय					
क्रम सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक, एसएमएस/केबल, टीवी चैनल इत्यादि)	प्रिंट/टेलीकास्ट/एसएमएस की तारीख (तारीखें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची -4				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होडिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय				
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

अनुसूची -5				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत आम सभाओं/जुलूस/रैली (यथा मंच/ऑडियो/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस/रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

अनुसूची-6					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्रम सं.	राज्य	प्रयोजन	तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची-7						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (थियों) या अन्य अभ्यर्थी (थियों), यदि कोई झों, को नकद या अन्य माध्यमों यथा चैक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तारण इत्यादि द्वारा कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (थियों) को भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।						
क्रम सं.	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (यें)	नकद राशि	चैक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	भुगतान की गई कुल राशि
1						
2						
3						
						कुल

अनुसूची-8					
अभ्यर्थी (थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत/उपगत किसी/किन्हीं अभ्यर्थी (थियों) के नामे डाला जा सकता है					
क्रम सं.	राज्य	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक/एसएमएस, केबल, टीवी इत्यादि)	प्रिंट/प्रसारण/एसएमएस की तिथि/थं	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची -9				
अभ्यर्थी (थियों) के फोटो या नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे कुल व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत / उपगत हों, एवं उन्हें किसी, अभ्यर्थी (थियों) के नामे डाला जा सकता हो।				
क्रम सं.	राज्य/विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
				कुल

अनुसूची -10					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा जनसभाओं/जुलूस इत्यादि पर अधिकृत/उपगत कुल व्यय (साधारण पार्टी प्रचारकों के अतिरिक्त) (स्टार-प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहन/बैरिकेड/ऑडियो आदि)					
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	स्टार प्रचारकों और अन्य नेता (नेताओं) के नाम अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम	तारीख	व्यय की मदें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

अनुसूची -11					
अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत अन्य कोई व्यय					
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

**निर्वाचन व्यय के राज्य-वार ब्यौरे**

राज्य का नाम.....

**अनुसूची-12**  
राज्य/जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत स्टार प्रचारक(कों) के कुल व्यय

क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक (को) का/के नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलीकॉप्टर, या एयरक्राफ्ट के मामले में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

**अनुसूची-13**  
राज्य/जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले के व्यय सहित)

क्रम सं.	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता (ओं) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामले में आदाता का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
						कुल

**अनुसूची -14**  
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत सामान्य पार्टी प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय

क्रम सं.	राज्य	आदाता का नाम	मीडिया का (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक,एसएमएस / केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) नाम	प्रिंट/ टेलीकास्ट/एसएमएस आदि की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
					कुल

**अनुसूची -15**  
राज्य/जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत सामान्य पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री पर व्यय

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

**अनुसूची -16**  
राज्य/जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत लोक बैठकों / जुलूस / रैली (यथा मंच / ऑडियो / बेरीकेड / वाहन इत्यादि) पर व्यय

क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस/रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

अनुसूची-17				
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय				
क्रम सं.	राज्य	प्रयोजन/ मदों के ब्यौरे	व्यय की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
कुल				

अनुसूची-18						
राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत पार्टी के अभ्यर्थी(थियों), यदि कोई है, को नकदी या अन्य किसी माध्यम यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तारण इत्यादि में कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयां एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (थियों) को भुगतान करती है तो तारीख-वार ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।						
क्रम सं.	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का/के नाम तथा अन्य पार्टी होने की दशा में पार्टी के नाम का उल्लेख करें	भुगतान की तारीख (खं)	नकद राशि	चेक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	संदत कुल राशि
1						
2						
3						
कुल						

अनुसूची-19					
अभ्यर्थी (थियों) के फोटो या नाम सहित विशेष अभ्यर्थी (थियों) के लिए राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, बल्क एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय और ऐसे व्यय जिन्हें अभ्यर्थी (थों) के नामे डाला जा सके					
क्रम सं.	राज्य	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक/एसएमएस /केबल, टीवी)	प्रिंट/टेलीकास्ट एसएमएस इत्यादि की तारीख (खं)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची -20					
अभ्यर्थी (थियों) के फोटो और/पोस्टर नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्ट, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा राज्य /जिला / स्थानीय इकाईयों द्वारा अधिकृत /उपगत ऐसे व्यय जिसे/जिन्हें अभ्यर्थी (थियों) के नामे डाला जा सके।					
क्रम सं.	राज्य/विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1					
2					
कुल					

अनुसूची -21						
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों (साधारण पार्टी प्रचार के अतिरिक्त) द्वारा अभ्यर्थी (थियों) के लिए आम सभाओं/जुलूसों इत्यादि पर अधिकृत/उपगत कुल व्यय (स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए बैरीकेड्स/ऑडियो इत्यादि/भाडे पर वाहन)						
क्रम सं.	राज्य एवं स्थल	स्टार प्रचारक (कों) और अन्य नेता (ओं) का/के नाम	अभ्यर्थी (थियों) का /के नाम	दिनांक	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची -22					
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों द्वारा अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत/ उपगत अन्य कोई व्यय					
क्रम सं.	राज्य	विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (थियों) का/के नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची -23क								
केन्द्रीय मुख्यालय में स्थित राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, को प्रकाशित करने पर उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय								
क्रम सं.	वेबसाइट	समाचार-पत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
		वह अवधि जब प्रदर्शित किया गया	समाचार पत्र का (के) नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीख में)	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	चैनल (चैनलों) का (के) नाम	अंतर्वेशन/ दूरदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुसूची -23ख								
राज्य/जिला/स्थानीय इकाईयों में स्थित राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, को प्रकाशित करने पर उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय								
क्रम सं.	वेबसाइट	समाचारपत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
		वह अवधि जब प्रदर्शित किया गया	समाचार पत्र का (के) नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीखें)	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	चैनल (चैनलों) का (के) नाम	अंतर्वेशन/ दूरदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुसूची 24क						
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार पर पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सामान्य पार्टी प्रचार के लिए प्राधिकृत/उपगत कुल व्यय						
क्र.सं.	राज्य	वर्चुअल प्रचार का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)		विषय-वस्तु बनाने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया का नाम	कुल धनराशि (बकाया राशि सहित)
1	2	3		4	5	6

अनुसूची 24ख						
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार पर राज्य/जिला/स्थानीय इकाई द्वारा सामान्य पार्टी प्रचार के लिए प्राधिकृत/उपगत कुल व्यय						
क्र.सं.	राज्य	वर्चुअल प्रचार का स्वरूप (सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों का उल्लेख करें)		विषय-वस्तु तैयार करने वाले का नाम	संदेश प्रसारित करने वाले मीडिया का नाम	कुल धनराशि (बकाया राशि सहित)
1	2	3		4	5	6